

राजकीय महाविद्यालय, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर

(राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध)

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर – 302015, राजस्थान

E-mail : gcjaisinghpurakhor@gmail.com

(दूरभाष न. 0141-2709093)

विवरणिका

सत्र 2023-24

डॉ. अल्पना व्यास
(संरक्षक एवं प्राचार्य)

Picxy

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	महाविद्यालय : एक परिचय	3
2.	आह्वान	4
3.	पाठ्यक्रम एवं कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या	5-6
4.	शुल्क विवरण	7-8
5.	सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	9-10
6.	शिष्टाचार एवं उपस्थिति नियम	10
7.	पुस्तकालय नियम	11
8.	ऑनलाईन प्रवेश समिति	12
9.	रैगिंग से सावधान	13

- प्रवेश नीति 2023-24 महाविद्यालय के वेबपोर्टल पर उपलब्ध है

राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर, जयपुर : एक परिचय

राजस्थान राज्य की राजधानी, गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध, जयपुर जिला मुख्यालय की हृदय स्थली में स्थित जयपुर नगर के जयसिंहपुरा खोर में राजकीय महाविद्यालय है। यहाँ सह शिक्षा उपलब्ध है। वर्तमान में यह महाविद्यालय अस्थायी रूप से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में संचालित है।

सन् 2023 में स्थापित इस महाविद्यालय में कला संकाय के विषयों में शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। कला संकाय में इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, उर्दू, हिन्दी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य विषयों के पाठ्यक्रम अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

नोट :- बी.ए. पार्ट-प्रथम, सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाईन प्रवेश हेतु वेब साइट

dce.rajasthan.gov.in/hte.rajasthan.gov.in पर आवेदन करे।

प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

जयपुर में, 1884 में महाराजा कॉलेज, 1865 में संस्कृत महाविद्यालय, 1947 में राजपुताना विश्वविद्यालय एवं 1958 में उच्च शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में 40 महाविद्यालय कालान्तर में उच्च शिक्षा की प्रगति का प्रतीक हैं। प्रगति की इस श्रृंखला में उच्च शिक्षा के बढ़ते कदमों ने 2023 में राजकीय महाविद्यालय, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर की स्थापना की।

नवसृजित राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर के शैक्षणिक सत्र 2023–24 में महाविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। महाविद्यालय परिवार, अध्यापन के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत है जिससे विद्यार्थी बौद्धिक, आत्मिक एवं नैतिक विकास के साथ-साथ कर्मठ नागरिक बनें तथा समाज एवं राष्ट्र सेवा हेतु कृत संकल्प हों।

यह कला संकाय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम द्वारा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए उनमें अन्तर्निहित प्रतिभाओं को विकसित एवं उजागर करने हेतु वचनबद्ध है।

हमारा सतत् प्रयास है कि महाविद्यालय के समस्त संसाधनों का लाभ विद्यार्थी बहुआयामी विकास के लिए उपयोग कर, स्वयं की प्रतिभा एवं कार्य-कौशल को विकसित करें।

आपके उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभ कामनाएं

प्राचार्य,

(डॉ. अल्पना व्यास)

राजकीय महाविद्यालय, जयपुर एवं

नोडल अधिकारी

राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर, जयपुर

उपलब्ध पाठ्यक्रम

सत्र 2023–24

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में कला संकाय त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विषय चयन की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध है—

कला संकाय

बी.ए. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय –

- प्रारम्भिक कम्प्यूटर
- सामान्य हिन्दी
- सामान्य अंग्रेजी
- ऐच्छिक विषय समूह
- पर्यावरण अध्ययन
- आनन्दम्

क्रम संख्या 01 से 14 में अंकित विषय समूहों को वरीयता क्रम में भरें।

Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3
1	English Literature	Geography	History
2	English Literature	Political Science	Geography
3	English Literature	History	Political Science
4	English Literature	Sociology	Geography
5	Hindi Literature	Geography	Sociology
6	Hindi Literature	History	Sociology
7	Hindi Literature	Geography	Political Science
8	Hindi Literature	Sociology	Political Science
9	History	Political Science	Geography
10	Sociology	Political Science	History
11	Urdu	Geography	History
12	Urdu	Political Science	History
13	Urdu	Sociology	Geography
14	Urdu	Sociology	History
15	Urdu	Sociology	Political Science

Course Name: BA Pt I

----> Subject wise Seats

Sr. No.	Subject	No. of Seats	
1	Hindi Litt.	80	
2	English Litt.	40	
3	Pol. Science	80	
4	History	80	
5	Sociology	60	
6	Urdu	60	
7	Geography	80	
8	Gen. Hindi	160	
9	Gen. English	160	
10	Environmental Studies	160	
11	Elementary Computer	160	
12	Aanandam	160	

नोट – छात्र द्वारा चुना गया ऐच्छिक विषय आवंटित करने हेतु महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा क्योंकि प्रथम वर्ष कला वर्ग के विद्यार्थियों को विषयों आवंटन का महाविद्यालय द्वारा मैरिट के अनुसार सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। आवंटन के पश्चात विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा।

बी.ए. भाग द्वितीय / तृतीय –

बी.ए. भाग प्रथम के ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय/तृतीय में यथावत् रहेंगे।

Picxy

प्रवेश शुल्क विवरण
सत्र 2023-24

(अ) बी.ए. प्रथम वर्ष :-

S.No.	Fee Type	General Boys(Non Income Tax Payer)	General Boy (Income Tax Payer)	SC/ST/OBC/SBC Boys	All Girls	PH Boys&Girls	Deaf, Dumb & Visually Impaired
1	Admission Fees	2	2	2	0	0	0
	Tuition Fee (Income Tax Payer)	42	144	0	0	0	0
	Lab Fees (only For Practical Subjects)	100	100	100	100	0	0
2	Computer Education	450	450	450	450	0	0
3	Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)	700	700	700	700	0	0
4	Caution Money	100	100	100	100	0	0
5	Library Fee	150	150	150	150	0	0
6	Student Activities	135	135	135	135	0	0
7	General Purpose Fee	345	345	345	345	0	0
8	Games Fee	100	100	100	100	0	0
9	Student Union	100	100	100	100	0	0
11	Women Cell	0	0	0	100	0	0
12	Misc.	60	60	60	60	0	0
13	Insurance Fee	0	0	0	0	0	0
	TOTAL						
	B.A (Geography)	2284	2386	2242	2340	0	0
	B.A (Non Geography)	2184	2286	2142	2240	0	0

(ब) बी.ए. पार्ट द्वितीय / तृतीय :-

S.No.	Fee Type	General Boys(Non Income Tax Payer)	General Boy (Income Tax Payer)	SC/ST/OBC/SBC Boys	All Girls	PH Boys	PH Girls	Deaf, Dumb & Visually Impaired	
1	Admission Fee	2	2	2	0	0	0	0	
	Tuition Fee	42	144	0	0	0	0	0	
	Lab Fee (only For Practical Subjects)	100	100	100	0	0	0	0	
2	Computer Education	0	0	0	0	0	0	0	
3	Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)	700	700	700	700	0	0	0	
4	Caution Money	0	0	0	0	0	0	0	
5	Library Fee	150	150	150	150	0	0	0	
6	Student Activities	135	135	135	135	0	0	0	
7	General Purpose Fee	345	345	345	345	0	0	0	
8	Games Fee	100	100	100	100	0	0	0	
9	Student Union	100	100	100	100	0	0	0	
11	Women Cell	0	0	0	100	0	0	0	
12	Misc.	60	60	60	60	0	0	0	
13	Insurance Fee	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL								
	B.A (Geography)	1734	1836	1692	1760	0	0	0	
	B.A (Non Geography)	1634	1736	1592	1760	0	0	0	

सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ :

(अ) खेलकूद

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में प्रतिवर्ष खेलकूद गतिविधियों का आयोजन प्राचार्य के मार्गदर्शन में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष अन्तर कक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। विजेता विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय सेवा योजना {एन.एस.एस.}

गाँधी शताब्दी वर्ष में एन.एस.एस. का शुभारम्भ राष्ट्रीयता से ओत प्रोत युवाओं में अटूट विश्वास का प्रतिक है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शिक्षण के साथ-साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने एवं विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिये राष्ट्रीय एकता, एडस के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर विद्यार्थी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में विद्यार्थियों को नियमित गतिविधियों के अर्न्तगत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। विभिन्न विषयों पर वादविवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले प्रत्येक स्वयं सेवक को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

(स) महिला प्रकोष्ठ

महिला प्रकोष्ठ में प्रत्येक छात्रा की सदस्यता अनिवार्य है। इसके माध्यम से छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है एवं समस्याओं के समाधान सम्बन्धी सार्थक सुझाव देने हेतु छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है।

(द) युवा विकास केन्द्र

युवाओं को वैचारिक गतिविधियों से जोड़ने एवं राष्ट्र के विकास में व्यापक भागीदारी निभाने हेतु महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र का संचालन किया जाता है। युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अध्ययन के साथ-साथ व्यक्तित्व एवं भविष्य निर्माण के विभिन्न प्रतिमान, अवसरों की जानकारी तथा उनके अनुसार स्वयं को तैयार करने हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया जाता है।

(य) छात्रसंघ

लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भांति इस महाविद्यालय में भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा छात्रसंघ का गठन किया जायेगा। छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। छात्रसंघ के पदाधिकारियों को महाविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए शैक्षणिक, सहशैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन/आयोजन में सत्र पर्यन्त सहयोग करना होता है। महाविद्यालय में अनुशासन कायम रखने एवं महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के प्रति भी छात्रसंघ की जागरूकता आवश्यक होगी।

शिष्टाचार सम्बन्धी नियम

- विद्यार्थी अपना परिचय-पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- महाविद्यालय परिसर में श्रेष्ठ आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितान्त आवश्यक है।
- महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन बनाये रखें। अनुशासनहीनता के दोषी छात्र को दण्डित एवं महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- कक्षाओं के भीतर व बाहर शांति बनाए रखनी होगी।
- महाविद्यालय सम्पत्ति का उचित संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा उन्हें हानि न पहुँचायें।
- अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में करें।
- छात्र अपने शिक्षकों के प्रति सदैव शालीन रहें। प्रत्येक परिसंवाद और विचार विमर्श में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अनिवार्य है।
- महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं।
- किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- पूर्व छात्र { Ex - Student } प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ही कक्षा में बैठें।
- महाविद्यालय परिसर धूम्रपान व तम्बाकू निषिद्ध क्षेत्र है। लिप्त पाये गये विद्यार्थियों को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

उपस्थिति नियम

- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
- राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने वाले दिवसों की उपस्थिति दी जायेगी।

- यदि कोई विद्यार्थी विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय की उपस्थिति में नहीं जोड़ी जायेगी। यदि कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आते है, तो स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में पूर्व महाविद्यालय द्वारा अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जायेगी।
- राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति नियम ही मान्य होंगे।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

विद्यार्थियों को पुस्तकालय सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए –

- पुस्तकालय/वाचनालय खुलने का समय प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक हैं।
- पुस्तकालय में प्रवेश करते समय अपना निजी सामान बाहर काउण्टर पर रखें।
- प्रत्येक छात्र को दो पाठक टिकट दिये जायेंगे इसके लिये उन्हें काउण्टर पर अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। पाठक टिकट हस्तान्तरणीय नहीं हैं।
- पुस्तकालय से छात्रों को पुस्तकें उनके पाठक टिकट पर 15 दिन के लिये निर्गमित की जाती है। निर्धारित तिथि तक पुस्तक नहीं लौटाने पर प्रत्येक पुस्तक पर 1 रु. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।
- पुस्तकों पर अपना नाम लिखने, किसी तरह का चिन्ह बनाने, पृष्ठ अलग करने एवं पुस्तकों को अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने पर पुस्तक के मूल्य की दुगुनी राशि वसूल की जायेगी।
- सत्र की समाप्ति पर छात्रों को अपने पाठक टिकट एवं पुस्तकें जमा करानी होगी।
- संदर्भ ग्रंथ और पत्रिकायें घर ले जाने के लिय निर्गमित नहीं की जावेंगी।
- पत्रिकायें वाचनालय में उपलब्ध रहती हैं। इन्हें पढ़ने के लिए छात्र का अपना परिचय-पत्र पुस्तकालय में उपस्थित कर्मचारी को देना होगा। पत्रिकाओं में से पृष्ठ अलग करने या उनके चित्र खराब करने की स्थिति में दोषी छात्र से पत्रिका का दुगुना मूल्य वसूल किया जावेगा।
- यदि कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तक चोरी करता हुआ पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय नियमावली के नियम 88 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।
- पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व पुस्तक को भली भाँति देख लेना चाहिये। यदि पुस्तक के पृष्ठ फटे हुए हों या पृष्ठ कम हों तो सम्बन्धित अधिकारी को दिखाकर उनके सील लगवाले या हस्ताक्षर करा लेवें अन्यथा लौटाते समय पुस्तक के अपूर्ण पाये जाने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- पाठक टिकट अथवा उन पर प्राप्त की गई पुस्तक के खो जाने पर तुरन्त लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिये।
- पुस्तकालय के द्वारपाल को निर्गमित पुस्तकें देखने का पूर्ण अधिकार होगा।
- पुस्तकालय कर्मचारियों को पुस्तकालय में छात्रों की तलाशी लेने का अधिकार होगा।

प्रवेश समिति

प्रवेश नोडल अधिकारी
वेबसाइट प्रभारी

- डॉ. शशि देपाल, आचार्य,
- डॉ. कविता भारती, सहायक आचार्य

कला संकाय :

बी.ए. पार्ट प्रथम

- प्रभारी — डॉ. शशि देपाल
- सदस्य — श्रीमती इन्दु आर्य
- सदस्य — डॉ. कविता भारती
- सदस्य — डॉ. राजकुमार बैरवा

रैगिंग से सावधान

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी विद्यार्थी की रैगिंग लेने, चिढ़ाने या तंग करने को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। कहे, लिखे गये शब्दों या कृत्यों के जरिये ऐसा कोई उपद्रवी व्यवहार जिसमें दूसरों को सताने का भाव निहित हो, दूसरे विद्यार्थियों के साथ रूखाई से पेश आना, उपद्रवी या अनुशासनहीन कार्यवाहियों में लिप्त होना, जिसके चलते नवागन्तुक या किसी कनिष्ठ विद्यार्थी के मन में गुस्सा, भय व्याप्त हो या उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचे इसके अलावा कनिष्ठ विद्यार्थी से ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना जो सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जा सके, रैगिंग या तंग करने की श्रेणी में आता है।

किसी भी विद्यार्थी के रैगिंग की गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा अथवा उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। अतः आवश्यक है कि वरिष्ठ विद्यार्थी अपने नव प्रवेशित विद्यार्थी साथी से सद्व्यवहार करें और महाविद्यालय वातावरण से परिचित कराने में सहयोग देवें तथा रैगिंग का विरोध कर विद्यार्थी को जागरूक करें।

महिला गरिमा हेल्प लाइन

1090—1095

Picxy